निर्वाचन / अतिमहत्वपूर्ण

संख्या : 2559 / 33–3–2015–96 / 2015टी.सी.

प्रेषक,

वंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 16 सितम्बर, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन,2015 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2121 / 33 3–2015–96 / 2015 टी0सी0 दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं उसके क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–2378 / 33–3–2015–96 / 2015टी0सी0 दिनांक 28 अगस्त, 2015, तथा शासनादेश संख्या–2457 / 33–3–2015–96 / 2015टी0सी0 दिनांक 05 सितम्बर, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों का सामान्य पुनगर्ठन एवं परिसीमन वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1995 में हुआ था। इस मध्य जनगणना वर्ष 2001 व जनगणना वर्ष 2011 के आंकडे प्रकाशित हो चुके हैं। इसके फलस्वरूप तत्समय स्थापित ग्राम पंचायतों के पंचायत क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो जाने के कारण प्रदेश में वर्ष 2014–15 में ग्राम पंचायतों के सामान्य पुनर्गठन एवं परिसीमन की कार्यवाही की गयी है। जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 7315 नई ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं और इसके कारण अनेक दूसरी ग्राम पंचायतें, जहां से कट कर नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश स्तर पर हुए इस प्रकार के व्यापक पुनगर्ठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों के पंचायत क्षेत्रों व उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है। ग्राम पंचायतों के वार्ड 6,51,160 से बढकर 7,45,475 हो गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायतें व उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं जिसके कारण प्रधान के पदों और सदस्यों के आरक्षण व आवंटन में अनेक समस्याएं संज्ञान में आयी हैं।

2. अतः सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में नियम–4 के उपनियम (4) व उपनियम (6) में संशोधन किया

गया है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों के आरक्षण व आवंटन के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था प्राविधानित की गयी है:–

(1) जब कभी ग्राम पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व राज्य में पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य परिसीमन हो, तब नियम 3 में यथाउपबन्धित स्थानों की संख्या का विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों मे आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना नये सिरे से किया जाएगा।

(2) जब कभी ग्राम पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व राज्य में पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य परिसीमन हो, तब महिलाओं के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना, नये सिरे से किया जाएगा।"

3. साथ ही, उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (2) व उपनियम (4) में संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत के प्रधानों के आरक्षण व आवंटन के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था प्राविधानित की गयी है:–

(1) जब कभी प्रधानों के पदों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में सामान्य परिवर्तन हो, तब उपनियम(1) के अधीन यथाअवधारित अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधानों के पदों की संख्या का खण्ड की भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों में आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना, नये सिरे से किया जाएगा।

(2) जब कभी प्रधानों के पदों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में सामान्य परिवर्तन हो, तब महिलाओं के लिए आरक्षित प्रधान के पदों की संख्या का आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना, नये सिरे से किया जाएगा।

4. अतः वर्ष 2015 के पंचायतों के सामान्य निर्वाचन में ग्राम पंचायतों के प्रधानों व ग्राम पंचायतों के सदस्यों के संबंध में आरक्षण व आवंटन की कार्यवाही उक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार गत पंचायत निर्वाचनों में आरक्षण व आवंटन की स्थिति को संज्ञान में न लेते हुए नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी अर्थात ग्राम प्रधान के पदों व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले ग्राम पंचायत के सदस्यों के स्थानों के आरक्षण व आवंटन को ऐसे प्रारम्भ किया जायेगा जैसे कि यह प्रथमबार हो रहा हो।

5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1953/33–1–2005–71/2000, दिनांक 09 जुलाई, 2010 शासनादेश संख्या–2121/33–3–2015–96/2015टी0सी0 दिनांक 11 अगस्त, 2015, तथा शासनादेश संख्या–2378/33–3–2015–96/2015टी0सी0 दिनांक 28

अगस्त, 2015 के ग्राम पंचायत के प्रधानों व ग्राम पंचायत के सदस्यों से संबंधित प्रस्तर उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें और इन शासनादेशों के उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रस्तर यथावत प्रभावी रहेंगें।

अतः ग्राम पंचायतों के प्रधानों व ग्राम पंचायत के सदस्यों के आरक्षण व आवंटन के संबंध में संशोधित समय–सारिणी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 2559/1/33–3–2015–96/2015टी0सी तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टॉफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, सूचना एवम् जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. पंचायतीराज अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या– 2559/33–3–2015–96/2015टी0सी0 दिनांक
16 सितम्बर, 2015 का संलग्नक।

ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु निर्धारित समय–सारिणी

क्र. सं.	कार्यवाही	निर्धारित अवधि
1.	निदेशालय द्वारा विकास खण्डवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाना। (2 दिन)	17.09.2015 से 18.09.2015
2.	निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा अपर मुख्य अधिकारियों का प्रशिक्षण (1 दिन)	19.09.2015
3.	जनपद स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण (2 दिन)	20.09.2015 से 21.09.2015
4.	जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना। (4 दिन)	22.09.2015 से 25.09.2015
5.	शासनादेश संख्या–2121/33–3–2015–96/2015 टी0सी0 दिनांक 11 अगस्त, 2015 में उल्लिखित निर्दिष्ट स्थलों पर ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण/आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन। (3 दिन)	26.09.2015 से 28.09.2015
6.	प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त किया जाना। (6 दिन)	26.09.2015 से 01.10.2015
7.	आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण। (1 दिन)	03.10.2015
8.	आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश संख्या–2121/33–3–2015 –96/2015 टी0सी0 दिनांक 11 अगस्त, 2015द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण। (2 दिन)	04.10.2015 से 05.10.2015
9.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायत के सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन। (2 दिन)	06.10.2015 से 07.10.2015
10.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायती राज निदेशालय को शासनादेश संख्या–2121/33–3–2015–96/2015 टी0सी0 दिनांक 11 अगस्त, 2015 में उल्लिखित रूपपत्र पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध कराया जाना। (1 दिन)	08.10.2015
11	निदेशालय द्वारा शासन को आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की सूचना उपलब्ध कराया जाना। (1 दिन)	09.10.2015